जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./08/डी-547 दिनांक:- 01-05-2008

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 46 वी बैठक दिनांक: 26.04.08 को पूर्वान्ह 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं	जोन	प्रस्ताव सं0	विषय	निर्णय
1.		46:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 45वी बैठक दिनांक: 24.03.08 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत् ।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 45वी बैठक दिनांक: 24.03.08 के कार्यवाही विवरण के 45.5(3) व 45.5(4) के निर्णय में प्रस्तावानुसार के बाद महल योजना के सी डी ब्लाक अंकित करते हुए कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	2	46:2	सेक्टर 10, विधाधर नगर योजना में निर्मित सामुदायिक केन्द्र के रखरखाव एवं प्रबंधन हेतु सौंपे जाने बाबत।	उपायुक्त, जोन-2 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि पारीक समाज विकास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सेक्टर-10, विधाधर नगर में निर्मित सामुदायिक केन्द्र सभी वर्गो हेतू सार्वजनिक हित में रख-रखाव एवं प्रबन्धन हेतु दिये जाने बाबत कोर कमेटी के निर्णय की क्रियान्विती के क्रम में निर्णय किया जाना है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार कोर कमेटी के निर्णयानुसार सामुदायिक केन्द्र के रख-रखाव एवं प्रबंधन का कार्य पारीक समाज विकास समिति को सौपा जावे।
3.	7	46:3	भूखण्ड संख्या: सी-74(कॉर्नर) गोविन्दपुरा, करधनी योजना के अतिरिक्त भू-पट्टी आवंटन बाबत।	उपायुक्त, जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि श्री पवन कुमार गुप्ता को भूखण्ड संख्या सी-74 (कॉर्नर) गोविन्दपुरा करघनी क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर का आवंटन लॉटरी द्वारा दिनांक 04.06.97 को किया गया था। प्रार्थी को भूखण्ड का कब्जा-पत्र एवं लीजडीड दिनांक 2.5.2000 को जारी किये गये है। उक्त भूखण्ड के जारी साईट प्लान में भूखण्ड की साईज 16X 8.75=135.64 व.मी. दर्शा रखी है। प्रार्थी श्री पवन गुप्ता के द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 23. 06.07 को प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या सी-74 (कॉर्नर) से लगता हुआ भूखण्ड सं. सी-91(कॉर्नर) का प्राधिकरण द्वारा साइट प्लान 11.25 X 16.11 के अनुसार भूमि का आवंटन किये जाने के लिए निवेदन किया है। प्रार्थी श्री गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के कम में मौका रिपोर्ट करायी गयी। मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड सं. सी-74 की नाप 11-00 x 16-00 = 171-49 व.मी. उपलब्ध हो रही है। तथा ब्लॉक के अन्य भूखण्डों को अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटित भूमि उपलब्ध हो रही है। भूखण्ड संख्या सी-74(कार्नर) को पूर्व मे जारी साइट

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				प्लान 16-00 x 8-75 = 135-64 व.मी. के स्थान पर मौका रिपोर्ट के अनुसार 11-00 x 16-00 = 171-49 व. मी. भूमि उपलब्ध हो रही है। भूखण्ड मे 35.84 व. मी. भूमि बढी हुई है। अत: बढी हुई भूमि 35.84 व.मी. का आवंटन किया जाना है। बढ़ी हुई भूमि का आवंटन स्ट्रीप ऑफ लेण्ड के रूप में किये जाने पर विचार किया जा सकता है। योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 1650/-रूपये प्रति वर्ग मीटर की दुगुनी दर अर्थात् 3300/- रू. प्रति व.मी. पर लिया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे।
4.	9	46:4	ग्राम गोनेर में श्मशान हेतु भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त, जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पत्र प्रेषित कर ग्राम गोनेर में श्मशान हेतु भूमि आवंटन किये जाने का निवेदन किया है। ग्राम पंचायत के पत्र में खसरा नम्बर 2917 रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि को आवंटित किये जाने बाबत प्रार्थना की गई है। श्मशान हेतु भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय किया जाना है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर प्रस्तावानुसार श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
5.	9	46:4(1)	ग्राम गोनेर में पुलिस चौकी हेतु भूमि आवंटन	उपायुक्त, जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत गोनेर एवं पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण द्वारा पत्र प्रेषित कर ग्राम गोनेर में पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन किये जाने का निवेदन किया है। ग्राम पंचायत के पत्र में खसरा नम्बर 2921 रकबा 0.94 हैक्टेयर का आवंटन किये जाने बाबत उल्लेखित किया है। उपशासन सचिव, गृह (पुलिस) (ग्रूप-2) राज. जयपुर के पत्रांक एफ-27(क)(6)गृह-2/07 दिनांक 16.06.07 एवं ग्राम पंचायत गोनेर एवं पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के पत्र के क्रम में भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण राज्य सरकार को नि:शुल्क भू-आवंटन की स्वीकृती हेतु भिजवाया जावे, अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् तद्नुरूप आवंटन की कार्यवाही की जावे।
6.	12	46:4(2)	राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, जमवारामगढ़ के लिए ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ में सृजित जविप्रा की स्टेडियम एवं फार्म योजना में संस्थानिक उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्ड 5683 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त, जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, जमवारामगढ़ के लिए ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ में सृजित जविप्रा की स्टेडियम एवं फार्म योजना में संस्थानिक उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्ड 5683 वर्गमीटर भूमि आवंटन व दर के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण राज्य सरकार को, जनजाति

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				विभाग को नि:शुल्क भू-आवंटन की स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे, अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् तदनुरूप आवंटन की कार्यवाही की जावे।
7.	4	46:4(3)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को जैम विहार की सुविधा क्षेत्र में जलाशय हेतु 18मी.X18मी. क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त, जोन-4 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को जलाशय निमाण हेतु भूमि जैम विहार की सुविधा क्षेत्र उपलब्ध है जिसका क्षेत्रफल 4400वर्गगज है के उत्तर पश्चिम भाग के कोने में 18मी.X18मी क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। जोन-4 की संस्थानिक आरक्षित दर रूपये 6190/- प्र.व.मीटर है। आवंटन योग्य भूमि के संबंध में दर निर्धारण एवं आवंटन हेतु निर्णय लिया जाना प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण राज्य सरकार को P.H.E.D. को नि:शुल्क भू-आवंटन की स्वीकृती हेतु भिजवाया जावे, अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् तद्नुरूप आवंटन की कार्यवाही की जावे।
8.	11	46:4(4)	कच्ची बस्तियों के पुर्नवास हेतु जयपुर नगर निगम को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध कराने बाबत।	उपायुक्त, जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) द्वारा प्राप्त पत्र की पालना में कच्ची बस्ती पुर्नवास हेतु जोन-11 से संबंधित ग्राम बडी का खेडा तह. सांगानेर में संलग्न सूची अनुसार 34.35 हैक्ट. भूमि जयपुर नगर निगम को उपलब्ध कराई जानी है। भूमि जविप्रा की खातेदारी में दर्ज है मौके पर ख.न. 74 व 122 में छितराये हुए कच्चे मकान एवं ख.न. 120 में लगभग 4 बीधा भूमि पर एकजुट रूप में कच्चे मकान बनाये जाकर अतिक्रमण किया हुआ है। अत: अतिक्रमणों को हटाया जाकर भूमि नगर निगम को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार कच्ची बस्ती पुनर्वास हेतु नगर निगम को भू-आवंटन का निर्णय लिया जाकर दर निर्धारण हेतु प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को निर्णयार्थ भिजवाया जावें।
9.	1 9	46:4(5) 46:4(5)A	स्व. श्री भगवान दास खेडा के वारिसान को भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त, जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक में स्व. भगवान दास खेडा के वारिसान को जोन-1 में मालवीय नगर क्षेत्र के ई ब्लॉक में 639 वर्गगज व जोन-9 में शेष 611 वर्गगज भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। जोन-1 का प्रस्तुत भूखण्ड मौजी कॉलोनी के पास स्थित है। मौजी नगर विकास समिति द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया है कि यह आवंटित की जाने वाली भूमि मौजी नगर के सुविधा क्षेत्र में होने से उन्हें आदिनांक उक्त भूमि आवंटित नहीं की गई है। उपायुक्त जोन-9 द्वारा भी इस प्रकरण में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि आयुक्त महोदय से हुई चर्चा के अनुसार श्री भगवानदास खेडा को एक ही जगह 1250 वर्ग गज भूमि का आवंटन

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				करना है। इस संबंध में उपायुक्त जोन-1 ने अन्य जोनों से जानकारी प्राप्त की गई। वैकल्पिक भूमि हेतु जोन-4 द्वारा अवगत कराया गया है कि चन्द्रकला कॉलोनी के दक्षिण में ज.वि.प्रा. की भूमि खसरा नं. 94, 95, 96, 101 व 102 रकबा 0.92 ग्राम रामजीपुरा में है। जिसका पुराना खसरा नं. 6 है। पूर्व में यह भूमि गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज थी। बाद में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 8.7.2002 के उपरान्त ''गैर मुमकिन कब्रिस्तान'' से ''गैर मुमकिन'' नामान्तरण दिनांक 20.7.02 के द्वारा दर्ज की गई है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नं. में वर्तमान में 2399.76 वर्गगज रिक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। इस भूमि का भू-उपयोग जविप्रा प्लान 2011 के अनुसार आवासीय है तथा उक्त भूमि बाबत कोई वाद विचाराधीन नहीं है। अत: भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 15.12.07 में लिये गये निर्णय के क्रम में पुन: विचार-विमर्श कर पूर्व में जोन-1 एवं जोन-9 में भूमि आवंटन करने के लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए जोन-4 द्वारा प्रस्तावित भूमि 2399.76 वर्ग गज में से राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री भगवान दास खेडा को 1250 वर्ग गज भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया।
10.	10	46:4(6)	खो-नागोरियान के विस्थापितों को पुर्नवास के संबंध में।	उपायुक्त, जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम खो नागोरियान के जविप्रा के खसरा नं. 2065 रकबा 0.93 है., 2093 रकबा 0.21 है., 2094 रकबा 0.06 है., 2095 रकबा 0.05 है., 2096 रकबा 0.12 है., 2097 रकबा 0.03 है., 2098 रकबा 0.60 है., किस्म चारागाह कुल किता 7 कुल रकबा 2.00 है., 160 फीट चौडी सैक्टर रोड से लगती हुई भुमि है। यह सैक्टर रोड मालवीय नगर, इंदिरा गॉधी नगर जैसी महत्वपूर्ण आवासीय कालोनी, शूटिंग रेंज एवं अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों को आगरा रोड जाने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्ग को जोड़ता है। खसरा नं. 2100 की भूमि रकबा 1.78 है. शमशान घाट के लिये प्रयोजनीय है तो खसरा नं. 2065 की भूमि में से ट्रेफिक पुलिस चौकी एवं बीसलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु आवंटित की जा चुकी है क्योकिं भूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका है। इसी ग्राम की खसरा नं. 1972 रकबा 1.32 किस्म बंजड प्रथम पर अम्बालाल गुर्जर ने अवैध रूप से आवासीय कालोनी काट कर चार दीवारी बनवा दी गई है। खसरा नं. 1972 रकबा 1.32 है. की भूमि पर बनाई चार दीवारियों को अतिक्रमण हटाओं अभियान में दिनांक 03.04.08 को ध्वस्त कर दिया गया है। खसरा नं. 2093 से 2098 तक की भूमि पर 17 व्यक्तियों ने मकान बनाकर एवं 16 लोगों ने चार दीवारी/कच्चे मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,

				खो नागोरियान एक अत्यधिक संवेदनशील गॉव है। यहॉ के लोगों द्वारा छोटी छोटी घटनाओं पर चक्का जाम करने, पुलिस पर पथराव करने की परम्परा रही है। पूर्व में इस अतिक्रमित भूमि को रिक्त करवाने के दो तीन बार प्रयास किये गये किन्तु जन विरोध के कारण उन्हें नही हटाया जा सकता है। अतिक्रमित भूमि की उपादेयता एवं आवश्यकता को देखते हुए उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने हेतु प्राधिकरण द्वारा नवीन प्रयास किया गया और बरसों से बैठे इन परिवारों के लोगों से बातचीत की गई। उन्हें अतिक्रमण से मुक्त करवाई भूमि पर नियोजित ढंग से 50 वर्ग गज के भूखण्ड देकर पुर्नवास करने के लिये समझाईश की गई। प्रशासन के द्वारा समझाईश करने से वहॉ नियोजित ढंग से पुर्नवासित होने के लिये सहमत हो गये है। इनके नियोजित पुर्नवास के उपरान्त खसरा नं. 2100 की शमशान के लिये प्रयोजनीय भूमि मुक्त हो सकेगी तथा खसरा नं. 2093 से 2098 तक का कुल रकबा 1.07 है. भूमि शेष बचेगी जिसे सांस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटित या व्यावसायिक प्रयोजनार्थ नीलामी से विक्रय किया जा सकता हे। राजकीय भूमि पर कच्ची बस्ती के भूखण्डों को नियमन करने पर जयपुर शहर के लिये 50 वर्ग गज तक भूमि के लिए 20/- रूपये प्रतिवर्ग गज से नियमित करने का प्रावधान है। तो भारत सरकार की मिशन बसेरा योजना में पुर्नवासित करने पर 45 वर्ग मीटर के निर्मित आवास लगभग 45000/- रूपयों में आवंटित किये जाते रहे है। जिनसे 10/- रूपये प्रतिदिन या 300/- रूपये प्रतिमाह की आसान किश्त पर आवंटितगण से राशि वसूल की जाती है। गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा राजकीय भूमि पर भूखण्ड आवंटित करने पर वहॉ की विधमान आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर राशि वसूल कर नियमित करने का प्रावधान है। संदर्भित भूमि पर जो 17 परिवार अतिक्रमण कर लम्बे समय से निवास कर रहे है। अतिरिक्त आयुक्त-पश्चिम के प्रस्तावानुसार इनका कच्ची बस्ती के अन्तर्गत नियमन या मिशन बसेरा के अन्तर्गत पुर्नवास करने में इनके सर्वेशुदा एवं चिन्हित कच्ची बस्ती नहीं होने के कारण कठिनाई आ सकती है। ऐसी स्थिति में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा राजकीय भूमि पर आवंटित आवासीय भूखण्ड के लिये 25 प्रतिशत आवासीय आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटित करने के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा सकता है। इन लोगों के द्वारा 100 से 500 वर्ग गज तक के भूखण्डों पर अतिक्रमण किया हुआ है। जबकि इनका पुर्नवास मात्र 50-50 वर्ग गज के भूखण्ड पर ही किया जा रहा है। अत: खो नागोरियान की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर के 25 प्रतिशत मूल्य पर आवंटित करना विचारणीय हे। इनमें

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,

				अधिकांश निवासी अल्प आय वर्ग के है। इनके द्वारा देय राशि एकमुश्त देने मे असमर्थता व्यक्त करते हुए देय राशि चार किश्तो में लियें जाने का निवेदन किया गया है। चूँकि संदर्भित भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की बेशकीमती भूमि है। जिसे अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिये पुर्नवास पर किये जाने वाले व्यय के उपरान्त भी प्राधिकरण को आर्थिक रूप से हितकारी है। अत: अतिरिक्त आयुक्त-पश्चिम के प्रस्ताव पर एजेण्डा नोट समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण समस्त तथ्यों सहित स्वीकृती हेतु राज्य सरकार को आवंटन एवं दर निर्धारण के संबंध में निर्णयार्थ भिजवाया जावे।

एल.पी.सी. के पूर्व निर्णयों के क्रम में पुन: निर्देशित किया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा भू-आवंटन के संबंध में नीतिगत शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरणवार वस्तुस्थिति व पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जावे। उल्लघंन पाये जाने की स्थिति में नोटिस जारी कर नियमान्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही की जावे।

एल.पी.सी. की 43 वीं बैठक दिनांक: 15.12.07 के प्रस्ताव संख्या 43:10(8) व 43:10(9) द्वारा आवंटन का निर्णय हुआ था, जिसकी पालना अभी तक जोन स्तर पर नहीं हुई है। अत: उपायुक्त जोन-9 निर्णय की नियमानुसार पालना कर प्रगति रिपोर्ट अगली बैठक में रखें।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त एवं (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, अध्यक्ष, जविप्रा, जयपुर
2- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, एवं विधायक (जौहरी बाजार), जयपुर।
3- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
4- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
5- जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
7- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल
8- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
9- प्रो0 बीरू सिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क
10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

14- जिला कलक्टर, जयपुर

15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर

18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

20- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर

21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर

22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर

23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर

25- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव

एवं

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

8/8

परिशिष्ठ-अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 46वीं बैठक दिनांक 26.04.08 में उपस्थित रहे। जन-प्रतिनिधियों/अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	जन प्रतिनिधि/अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री डी.बी.गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र पारीक, मा. विधायक	सदस्य
3.	श्री राम निवास मीणा, सचिव, जविप्रा	सदस्य
4.	श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री बी0के0 दोसी, अति. आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
6.	श्री महेन्द्र सोनी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
7.	श्री नरेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त(एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
8.	श्री देवेन्द्र शर्मा, उपायुक्त जोन-1	विशेष आमन्त्रित
9.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन-2	विशेष आमन्त्रित
10.	श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5	विशेष आमन्त्रित
11.	श्री आकाश तोमर, उपायुक्त जोन-8	विशेष आमन्त्रित
12.	श्री राजपाल सिंह यादव, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमन्त्रित
13.	श्री डी.आर. सैनी, उपायुक्त जोन-10	विशेष आमन्त्रित
14.	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन 11	विशेष आमन्त्रित

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर